सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थी - श्रीमती अमरी   बनाम   विपक्षी - श्री वाला
किस्म - प्रा.प. (धारा-212 R.T.A)   प्रकरण सं. - 16/2024

कार्यवाही विवरण (G.C.M.S. NO - 2024/29)

12/01/2026

पत्रा. पेश। हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना-पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा मैथुडी पटवार हल्का मैथुडी तहसील सलूम्बर मे आराजी नम्बर 3767/0.04, व 3768/0.22 कुल किता-2 रकबा 0.26 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि स्थित है। जिसका अभी तक विधिवत रूप से पक्षकारो के मध्य विभाजन नही हुआ है। अत: मूलवाद पांती बटवाडे के निस्तारण तक विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कीया जावे।

वकील विपक्षीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन कीया कि हम वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार है। अत: सह खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा उचित नही है। मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु हम सहमत है।

बहस रिबुटल मे प्रार्थीगण ने मूलवाद पांती बटवाडे के निस्तारण तक उभयपक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमती जताई एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारि कीये जाने का निवेदन कीया।

हमने बहस मनन कि तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कीया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना प्रकट आया है। अत: उभयपक्ष की सहमती अनुसार न्यायहित मे मूलवाद पांती बटवाडे के निस्तारण तक वादग्रस्त स्थल की यथास्थिति बनाये रखना न्यायालय उचित समझता है।

— :: आदेश :: —

अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आंशीक रूप से स्वीकार कीया जाकर मौजा-मैथुडी पटवार हल्का-मैथुडी आ.नं. 3767/0.04 व 3768/0.022 कुल किता-2 रकबा-0.26 हैक्टे. भूमि की मौके की यथास्थिति मूलवाद पांती बटवाडे के निस्तारण बनाये रखने हेतु उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कीया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर